सं॰था0-13006/2/2023-ESTB_SEC-DoLRS-DOLRS

I/110769/2024

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 256 दिनांक 25.08.2023 द्वारा श्रीमती निधि गुप्ता, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01214) के विरूद्ध दिनांक 13.05.2023 से लगातार प्रतिवेदित तिथि तक अनुपस्थित रहने का प्रतिवेदन देते हुए कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय पत्रांक 8282 दिनांक 29.09.2023 द्वारा श्रीमती गुप्ता से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया है कि ये अप्रैल माह से गर्भावस्था में हैं एवं डॉक्टर द्वारा इन्हें बच्चे के जन्म तक बेड रेस्ट की सलाह दी गयी है। साथ ही उल्लेख किया गया है इनके द्वारा इसकी सूचना ई–मेल के माध्यम से बंदोबस्त कार्यालय को दी गयी है। इनके द्वारा अनुपस्थित अवधि के लिए मातृत्व अवकाश एवं अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है एवं स्वस्थ्य होने के उपरांत कार्य पर लौटने की बात अंकित की गयी है।

प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाता हूँ कि श्रीमती गुप्ता द्वारा अवकाश में जाने से पूर्व अवकाश का आवेदन समर्पित किया जाना चाहिए था, जो इनके द्वारा नहीं किया गया है एवं बिना अवकाश आवेदन के ये अनाधिकृत अनुपस्थित हो गयी हैं। ऐसी स्थिति में इनके अवकाश स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सकता है। तत्काल इनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्य नहीं तो मानदेय नहीं के सिद्धान्त पर इन्हें स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाता है।

Signed by Jai Singh
Date: 05-02-2024 11:21:33

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

प्रतिलिपि :–

1. बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. श्रीमती निधि गुप्ता, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01214), बंदोबस्त कार्यालय, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत संधारित श्रीमती गुप्ता की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।